सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 01.12.15 की कार्य सूची।

मद सं0–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.5.2015 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

मद सं0–2 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्वति से दिनांक 24.9.15, 26.9.15, 28.9.15 एवं दिनांक 19.11.2015 को पारित आदेशो का अनुमोदन

मद सं0–3 **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

अ– दिनांक 01.09.15 से दिनांक 31.10.2015 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :–

सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक 23519 से तक– 161 परमिट

ब–शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः–

1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट	01 से	125 तक–	परमिट
2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	01 से	93 तक–	परमिट
3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	01 से	42 तक–	परमिट
4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	01 से	05 तक–	परमिट
5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट	01 से	08 तक–	परमिट
6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट पर्वतीय मार्ग –	01 से	05 तक–	परमिट

मैदानी मार्ग– ————

7– निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं) को जारी परमिट – 01 से 34 तक– परमिट

8– ठेका गाडी के स्थाई परमिट – 01 से 09 तक– परमिट

स– स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट– कुल स0 82

द– स्थाई ठेका गाड़ी के परमिटों का नवीनीकरण :–

1. ठेका गाडी परमिट – 02 परमिट
2. मैक्सी कैब परमिट – 02 परमिट
3. टैक्सी कैब परमिट – 01 परमिट
4. यूटिलिटी परमिट – 05 परमिट

मद सं0–4 ई–रिक्शा वाहन (बैटरी चालित तिपिहया वाहन) को व्यवासिक यात्री वाहन के रूप में संचालन हेतु मार्ग निर्धारित करने तथा इन वाहनो को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार एवं आदेश ।

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स0 जीएसआर 709(ई) दिनांक 8.10.2014, अधिसूचना स0 2590(ई) दिनांक 8.10.2014, अधिसूचनास0 जीएसआर 27(ई) दिनांक 13.1.2015 तथा भारत सरकार के पत्र स0 RT-11036/80/2012 दिनांक 9.6.2014 द्वारा ई–रिक्शा वाहनो को व्यवसायिक मोटर वाहन की श्रेणी मे सम्मलित किया गया है । इन वाहनो के पंजीयन, ई–रिक्शा चालको को ड्राईविंग लाईसेस जारी करने तथा इन वाहनो को परमिट से आच्छॉदित करने के सम्बन्ध मे प्राविधान किया गया है । उपरोक्त अधिसूचनाओ की छाया–प्रतियां सलंग्न '**क**' मे है ।

1– ई–रिक्शा वाहन का तात्पर्य ऐसी मोटरवाहन से है, जिसमे निम्नलिखित विशेषताएं होः–

- वाहन बैट्री चालित हो । मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अनधिक हो ।
- तिपहिया वाहन हो ।
- वाहन की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर/घण्टा से अनधिक हो ।
- वाहन की सीटिंग क्षमता चालक को छोड़कर कुल 04 व्यक्ति से अनधिक हो ।यात्रियो के अतिरिक्त 40 किलो से अनधिक भार भी ले जाया जा सकता है ।
- ये वाहन किराये पर संचालित होगे।

2– ई–रिक्शा वाहन के संचालन के लिये अपेक्षित प्रपत्र–

- व्यवसायिक श्रेणी की वाहन होने के कारण ई–रिक्शा वाहन का संचालन करने हेतु निम्नलिखित वैध प्रपत्र होन आवश्यक है–
- वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र ।
- फिटनेस प्रमाण पत्र
- परमिट,
- बीमा प्रमाण पत्र ।
- कर जमा का प्रमाण पत्र
- ई–रिक्शा को चलाने हेतु ड्राईविंग लाईसेंस ।

3– दिनांक 08.10.2014 के पूर्व विक्रय किये गये एवं बिना पंजीयन, फिटनेस, परमिट, ड्राईविंग लाईसेंस संचालित ई–रिक्शा वाहनो की स्थितिः–

- दि0 8.10.2014 को भारत सरकार के द्वारा ई–रिक्शा वाहन को व्यवसायिक मोटरवाहन की श्रेणी मे समिलित करने से पूर्व सम्बन्धित नियमो के अभाव मे इन वाहनो का क्रय–विक्रय अनियंत्रित तरीके से हुआ है । जिसके फलस्वरूप काफी संख्या मे अपंजीकृत ई–रिक्शा अवैधानिक तरीके से संचालित हुये ।
- ये वाहन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–126 के अन्तर्गत किसी भी टेस्टिंग एजेंसी से अनुमोदित नही थे, न ही इन पर परिवहन आयुक्त कार्यालय से कोई अनुमोदन प्राप्त किया गया था। अतः सड़क सुरक्षा की दृष्टि से इन वाहनो की उपयुक्ता/अनउपयुक्ता के बारे मे स्थिति स्पष्ट नही है।
- ये वाहन परमिट, बीमा, फिटनेश, आदि से भी आच्छॉदित नही है । अतः दुर्घटना की दशा मे मोटरवाहन दुर्घटना राहत निधि से किसी भी प्रकार की राहत एवं बीमा मुआवजा आदि दिया जाना सम्भव नही होगा ।
- इन वाहनों द्वारा कोई कर भी जमा नही किया जा रहा है ।
- उपरोक्त प्रकार की वाहनो की बड़ी संख्या को दृष्टि में रखते हुये भारत सरकार ने GSR- 27(ई) दिनांक 13.1. 2015 द्वारा यह निर्देश दिये थे, कि इस प्रकार की अपंजीकृत संचालित ई–रिक्शा वाहनो के निर्माता, पंजीकृत ई–रिक्शा निर्माता एसोसिएशन प्रत्येक मॉडल की वाहन परिवहन कार्यालय मे प्रस्तुत करेगें । इस प्रकार प्रस्तुत की गयी सभी मॉडलो की वाहनो को को परिवहन विभाग द्वारा सत्यापित कर दिया जायेगा, तत्पश्चात इन्ही सीमित मॉडलो को टेस्टिंग ऐजेन्सी केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–126 द्वारा विहित परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर पंजीयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जायेगा । तदोपरान्त इन वाहनो का परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीयन किया जाना था । इस हेतु दि0 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि प्रदान की गयी थी । परन्तु अभी तक ई–रिक्शा निर्माता एसोसिएशन के द्वारा ऐसा कोई भी आवेदन परिवहन कार्यालय मे प्रस्तुत नही किया गया है ।

4– अपंजीकृत एवं परमिट, फिटनेश, बीमा, ड्राईविंग लाईसेंस के बिना अनधिकृत रूप से संचालित ई–रिक्शा के सम्बन्ध में रिट पिटीशन (PIL) 153 मे मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश एवं अनुपालन की स्थिति –

- अपंजीकृत संचालित ई–रिक्शा के सम्बन्ध में रिट पिटीशन (**PIL**) 153 में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने अपने निर्णय दिनांक 03.3.2015 मे यह आदेश पारित किये कि बिना पंजीयन एवं बिना वैध प्रपत्रों के (परमिट, फिटनेश, बीमा, कर जमा, ई–रिक्शा ड्राईविंग लाईसेंस) ई–रिक्शा का संचालन बन्द किया जाये तथा यह सुनिश्चत किया जाये कि कोई भी ई–रिक्शा का संचालन बन्द किया जाये तथा यह सुनिश्चत किया जाये कि कोई भी ई–रिक्शा निर्माता/डीलर बिना अस्थाई/स्थाई पंजीयन के ई–रिक्शा का परिदान क्रेता को नही करेगा
- उक्त आदेशो के अनुपालन मे अवैधानिक रूप से संचालित ई–रिक्शाओ पर रोक लगाने के लिये विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।
- इन वाहनो के संचालन पर रोक लगाने के लिये परिवहन विभाग के सभी प्रर्वतन अधिकारियो एवं पुलिस विभाग को सघन चैकिंग एवं कठोर कार्यवाही के आदेश दिये गये है फलतः लगभग 70 वाहनो के चालान /बन्द किये गये है ।

5– ई–रिक्शा वाहन निर्माता/डीलर को अन्य मोटर वाहनो की भांति ही ई–रिक्शा वाहन का विक्रय करने वाले निर्माता /डीलर को वाहन विक्रय करने से पूर्व केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–34 के अन्तर्गत मोटरवाहन पंजीयन अधिकारी से प्रपत्र –16 पर ट्रेड प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

- ई रिक्शा के किसी भी माडल का उत्तराखण्ड मे विक्रय करने से पूर्व वाहन निर्माता/डीलर को उस माडल के पंजीयन अनुमोदन हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय से उस मॉडल की वाहन को प्रस्तुत करके वाहन का निरीक्षण करवाया जायेगा । इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा, निरीक्षण उपरांत वाहन के टैस्टिग ऐजेंसी द्वारा दिये गये अनुमोदन प्रमाण पत्र के अनुरूप पाये जाने पर परिवहन आयुक्त द्वारा पंजीयन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी ।
- प्रत्येक निर्माता/मोटरयान डीलर का यह दायित्व होगा कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली , 1989 के नियम–42 के अन्तर्गत वाहन का स्थायी/अस्थायी पंजीयन किये बिना वाहन का परिदान क्रेता को नही किया जायेगा ।

6– ई रिक्शा की फिटनेस की वैधता 03 वर्ष होगी ।

7– ई–रिक्शा हेतु परमिट की अनिवार्यताः

- ई–रिक्शा वाहन का संचालन आर0टी0ए0, एस0टी0ए0 द्वारा निर्धारित मार्गो पर आर0टी0ए0 से परमिट प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा । इस हेतु मण्डलायुक्तों (अध्यक्ष सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण0189 द्वारा सम्भागीय/सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारियो को निर्देश निर्गत किये गये है ।

8– ई–रिक्शा चालको के लिये पृथक ड्राईविंग लाईसेंस की अनिवार्यता

- भारत सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1989 व केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 मे संशोधन करते हुये यह व्यवस्था दी गई है, कि ई–रिक्शा चालको को ई–रिक्शा चलाने के लिये पृथक से व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करना होगा ।
- उपरोक्त ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु ई–रिक्शा चालको को व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिये निर्धारित कतिपय नियमो मे निम्नवत् शिथिलता प्रदान करते हुये यह प्राविधान किया गया है कि–

  – ई–रिक्शा चालको को व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता (कक्षा'–8 पास) से छूट दी गई है ।
  – उपरोक्त लाईसेंस प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 01 वर्ष पुराना निजी हल्का मोटरयान ड्राईविंग लाईसेंस के धारक होने से छूट प्रदान कर दी गई है ।

- व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिये किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राईविंग ट्रैनिग स्कूल से न्यूनतम 01 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता के स्थान पर किसी भी पंजीकृत ई–रिक्शा एसोशिएसन, ई–रिक्शा निर्माता से 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है ।

- ई–रिक्शा चलाने के लिये प्रदत्त ड्राईविंग लाईसेंस, ई–रिक्शा संचालन हेतु निर्धारित मार्गो पर ही वैध होगा । लाईसेंस की वैधता अवधि 03 वर्ष होगी।

9– ई–रिक्शा वाहनो पर तिपहिया टैक्सी की भॉति रू0 730 प्रति सीट, वार्षिक कर देय होगा ।

ई–रिक्शा वाहनो के सम्बन्ध मे मुख्यालय के पत्र स0 2159 /टीआर/17–3/2015 दिनांक 27,जून, 2015 द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओ के छाया–प्रति प्रेषित करते हुये निर्देश दिये गये है, कि अधिसूचनाओ मे निहित व्यवस्थाओ के दृष्टिगत तथा स्थानीय परिस्थितियो एवं आवश्यकताओ को संज्ञान मे लेते हुये इन वाहनो के संचालन हेतु क्षेत्र एवं मार्गो का निर्धारण कराते हुये परमिट निर्गमन की कार्यवाही करना सुनिश्चत करे । मुख्यालय से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन मे कार्यालय के पत्र स0 1904/आरटीए/दस–298/2015 दिनांक 24.7.2015 द्वारा सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रर्वतन) देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की को निर्देशित किया गया था, कि वह अपने–2 क्षेत्र में ई–रिक्शा वाहनो के संचालन हेतु मार्गो का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये । उनको यह भी कहा गया था, कि ऐसे मार्गो की अधिकतम लम्बाई 10 कि0मी0 तक हो । इस सम्बन्ध मे सहा0 संम्भागीय परिवहन अधिकारियो से प्राप्त सर्वेक्षण आख्या हो गई है, जो निम्नप्रकार हैः–

1– सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून से प्राप्त सर्वेक्षण आख्या –

स0स0प0अ0 (प्रर्वतन) देहरादून ने अपने पत्र स0 2599/प्रर्वतन/मार्ग सर्वेक्षण/2015 दिनांक 30 सितम्बर, 2015 द्वारा निम्न मार्गो हेतु अपनी सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की गई है–

(1) रिस्पना–चंचल डेरी एवं स्वीट्स –फव्वारा चौक–नेहरू कॉलोनी–बलवीर रोड– लक्ष्मी रोड़–व्हेलम गर्ल्स कॉलेज–ब्राईटलैण्ड–ब्रोकलीन स्कूल–सहस्त्रधारा रोड़ –सर्वेचौक ।

- उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 05कि0मी0 है, मार्ग पक्का है ।
- बलवीर रोड़, लक्ष्मी रोड, चन्दर रोड व्हेलम स्कूल, ब्राईटलैण्ड, ब्रोकलीन आदि क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में कोरोनेशन/फोरटीज भी है, जिसमे विभिन्न स्थानो से व्यक्ति उपचार के लिये आते है । उक्त क्षेत्र मे मार्ग संकरा है, जिस पर वर्तमान मे परिवहन की कोई सुविधा नही है । उक्त मार्ग ई–रिक्शा वाहनो के लिये उपयुक्त है ।
- उक्त क्षेत्र मे कई शिक्षण संस्थान व कॉलोनियां है ।
- क्षेत्र की जनता को समुचित परिवहन लाभ दिये जाने हेतु क्षेत्र मे ई–रिक्शा वाहन को मार्गवार परमिट जारी किया जाना उपयुक्त होगा ।

2– होटल ग्रेट बैल्यू–एनआईवीएच(बैक गेट)– कैनाल रोड़–पुलिस कॉलोनी–आईटी पार्क मोड़–पैराडाईज रेजीडेंसी–मंसूरी बाईपास मार्ग –

- उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 05कि0मी0 है । मार्ग का लगभग 01 किमी भाग अभी कच्चा है, जिसको पक्का करने का कार्य किया जा रहा है ।

- उक्त मार्ग मसूरी बाईपास पर मिलता है । उक्त मार्ग पर जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु राजपुर–क्लेमनटाउन मार्ग की नगर बसों के परमिटो मे मार्ग का विस्तार किया गया था, किन्तु उक्त मार्ग पर बसो का संचालन उनके द्वारा नही किया जा रहा है ।
- उक्त मार्ग पर कई अपार्टमेट व कालोनियां बन गई है । इस पर कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा वर्तमान मे उपलब्ध नही है, जिससे लोगो को आवागमन में कठिनाई होती है ।
- अतः क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उक्त मार्ग पर ई–रिक्शा वाहनो को मार्ग परमिट निर्गत किया जाना उपयुक्त होगा ।

3– तहसील–दून चिकित्सालय–द्वारका स्टोर–द्रोण इंटरनेशनल स्कूल–पंडित दीनदयाल चिकित्सालय–दून ब्लांसम स्कूल–व्हेलम स्कूल–एमडीडीए डालनवाला–

- तहसील से होकर पंडित दीनदयाल चिकित्सालय के लिये कई बार बस सेवा की मॉग प्राप्त हो रही है । इसके अतिरिक्त तहसील से द्रोण इंटरनेशनल स्कूल, चन्दर रोड, व्हेलम स्कूल आदि क्षेत्र के लिये पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा नही है।
- उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 04 कि0मी0 है । मार्ग पक्का है, तथा ई–रिक्शा वाहनो के संचालन हेतु सर्वथा उपयुक्त है ।

4– मोहकमपुर मंदिर से एकता विहार–गीता एन्कलेव–आर्शीवाद एन्कलेव– भागीरथी कॉलोनी–नेहरूग्राम– एकता एन्कलेव–गंगोत्री विहार –शताब्दी एन्कलेव–जोगीवाला ।

- मार्ग की कुल दूरी लगभग 04 कि0मी0 है ।

- उक्त मार्ग पर एकता विहार, गीता एन्कलेव, आर्शीवाद एन्कलेव, भागीरथी कॉलोनी, एकता एन्कलेव, गंगोत्री विहार, शताब्दी एन्कलेव आदि कालोनियां है। जिनके लिये सार्वजनिक परिवहन की कोई सुविधा वर्तमान मे नही है ।
- उक्त क्षेत्र मे मार्ग केवल ई–रिक्शा वाहनो के लिये उपयुक्त है ।
- अतः उक्त क्षेत्र की जनता को परिवहन की सुविधा दिये जाने हेतु ई–रिक्शा वाहनो के लिये मार्ग निर्मित करना उपयुक्त होगा ।

5– रिस्पना–जोगीवाला–बद्रीपुर –इन्द्रपुर मार्ग

- रिस्पना से होते हुये जोगीवाला से बद्रीपुर होते हुये इन्द्रापुर तक उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 05 कि0मी0 है । मार्ग पक्का है, तथा ई–रिक्शा वाहनो के संचालन हेतु उपयुक्त है ।
- मार्ग पर आशा नर्सिग होम, बद्रीपुर, दून कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी, वैड़िग प्वाईट, स्कूल गैस एजेसिंया एवं जागृति विहार,स्वास्तिक विहार, ग्रीन व्यू एन्कलेव, द्रोणनगरी विहार, शिवांगी विहार, यमनोत्री एन्कलेव, बद्रीकेदार एन्कलेव आदि कालोनियां है ।
- उक्त क्षेत्र मे कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा वर्तमान मे नही है ।अतः स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु ई–रिक्शा वाहनो के लिये मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा ।

6– बल्लीवाला चौक –अनुराग–सीमाद्वार–आईटीबीपी के बगल से गढवाली कालोनी–जीएमएस रोड–शिमला बाईपास–आईएसबीटी ।

- उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 05 कि0मी0 है, मार्ग पक्का है, तथा ई–रिक्शा वाहनो के संचालन हेतु उपयुक्त हे ।
- उक्त मार्ग पर सीमाद्वार से आईएसबीटी व सहारनपुर रोड से कनेक्टिविटी नही है ।
- उक्त मार्ग पर बल्लीवाला चौक, अनुराग, एशियन स्कूल, इंद्रिरानगर, आईटीबीपी कार्यालय, आईटीबीपी कॉलोनी, केन्द्रीय विघायलय, गढवाली कालोनी, जीएमएस रोड़ शिमला बाई पास तक जाने के लिये वर्तमान मे कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा नही है ।
- अतःस्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु ई–रिक्शा वाहनो के लिये उक्त मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा ।

7– दून शायर–साईलोक कॉलोंनी–इंजीनियर एन्कलेव–जीएमएस रोड़ –देना बैक–कमला पैलेस–सब्जीमण्डी चौक–पटेलनगर चौक–मंहत इन्द्रेश हॉस्पिटल

- उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 04 कि0मी0 है, मार्ग पक्का है, तथा ई–रिक्शा वाहनो के संचालन हेतु उपयुक्त है ।
- उक्त मार्ग पर दून शायर, साईलोक कॉलोनी, इंजीनियर एन्कलेव, जीएमएसरोड, भागीरथीपुरम आदि क्षेत्र की जनता को अवागमन हेतु सुविधा मिलेगी । साईलोक कॉलोनी से मुख्य मार्ग जीएमएस रोड़ तक आने के लिये वर्तमान मे कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा नही है ।

- अतः स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु ई–रिक्शा वाहनो के लिये उक्त मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा ।

8– बाईपास(पुरानी चौकी)–सरस्वती विहार–माता मंदिर–धर्मपुर–ऑफीसर्स कॉलोनी मोड़–पुलिस लाईन–रेसकोर्स–बन्नू स्कूल –चन्दर नगर–त्यागी रोड़–रेलवे स्टेशन ।

- मार्ग की कुल दूरी लगभग 4.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है, तथा ई–रिक्शा वाहनो के संचालन हेतु उपयुक्त है।
- उक्त मार्ग पर एकता विहार, सरस्वती विहार, गणेश विहार, अजबपुरकलां माता मंदिर कॉलोनी, सुमननगर, आफीसर्स कालोनी, पुलिस लाईन, रेसकोर्स, चन्द्ररनगर, त्यागी रोड़ आदि क्षेत्र की जनता को रलेवे स्टेशन आदि स्थान जाने के लिये सुविधा मिलेगी । उक्त मार्ग पर वर्तमान मे धर्मपुर तक चन्द्रबनी–परेडग्राउड मार्ग की मैक्सी कैब वाहनो का संचालन हो रहा है। किन्तु सेवाओ का समयान्तराल बहुत अधिक है।
- स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु ई–रिक्शा वाहनो के लिये उक्त मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा ।

9– प्रेमनगर–स्मिथ नगर–टी ईस्टेट–आरकेडिया ग्रांट–बड़ोवाला–'शिमला बाईपास–तेलपुर चौक–मेहूवाला–शिमला बाईपास मार्ग –आईएसबीटी

- उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 10 कि0मी0 है, मार्ग पक्का है, तथा ई–रिक्शा वाहनो के संचालन हेतु उपयुक्त है ।
- उक्त मार्ग पर टी–ईस्टेट, आरकेडिया ग्रांट, स्मिथनगर बडोवाला आदि क्षेत्र की जनता के लिये वर्तमान मे सार्वजनिक परिवहन की समुचित सुविधा नही है ।

- अतः स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने ई–रिक्शा वाहनो के लिये उक्त मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा ।

2– सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश से प्राप्त सर्वेक्षण आख्या–

स0स0प0अ0(प्रर्वतन) ऋषिकेश, ने अपने पत्र स0 1380/सा0प्रशा0/मार्ग सर्वेक्षण/15 दिनांक 02.9.2015 के द्वारा निम्न मार्गो हेतु अपनी सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की गई है–

(1) रायवाला– जी0आर0टी0यू0 मार्ग–

रायवाला पुलिस थाने से जीआरटीयू तक पक्की ब्लैक पेन्टेड सड़क है । जिसकी अनुमानित दूरी लगभग 04 कि0मी0 है, व चौड़ाई लगभग 04 मीटर है । उक्त मार्ग पर कहीं सड़क की पैटिग टूटी–फूटी है। मार्ग पर दो छोटे–छोटे वाहन आमने सामने से आसानी से क्रास कर सकते है । रायावाला पुलिस थाने से जीआरटीयू तक का मार्ग, राजकीय इण्टर कालेल रायावाला, शिवमन्दिर होशियारी माता मंदिर, मोक्षधाम आश्रम, भगवती बसन्ती मंदिर का तिराहा, आदि आवासीय क्षेत्र से आच्छॉदित है । उक्त मार्ग पर वर्तमान तक क्षेत्रीय जनता के अवागमन के लिये कोई भी परिवहन सुविधा नही है । उक्त मार्ग पर रायवाला थाने से हल्की चढाई है, लेकिन होशियारी मंदिर से 200 मीटर आगे लगभग 50 मीटर की तीब्र ढाल है । रायवाला थाने से जीआरटीयू मार्ग पर यदि ई–रिक्शा का संचालन किया जाता है, तो अनुमानित लगभग 5000 क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकती है ।

(2) एआईएमएस(एम्स) –श्यामपुर पुलिस चौकी–

एम्स–श्यामपुर पुलिस चौकी तक कुल अनुमानित दूरी लगभग 08 कि0मी0 है, उक्त मार्ग पक्की ब्लैक पेण्टेड सड़क है, लेकिन कहीं–कहीं सडक टूटी–फूटी है । एम्स– श्यामपुर चौकी मार्ग, बैराज तिराहा, पशुलोक आवासीय कालोनी सीमा डेण्टल कालेज, वीरपुर खुर्द, लेबर कालोनी, कृष्णा नगर कालोनी तिराहा, शिवालिक भागीरथी पब्लिक हाईस्कूल

खदरी तिराहा, लकडंधाट रोड, प्रगतिपुरम कालोनी आदि आवासीय क्षेत्र से आच्छॉदित है । उक्त मार्ग एम्स से लेबर कालोनी तिराहा तक लगभग 35 फिट चौडा है, लेवर कालोनी से लक्कड घाट रोड होते हुये श्यामपुर पुलिस चौकी (नेशनल हाईवे) तक मार्ग की चौड़ाई लगभग 20 फिट है । परन्तु मार्ग कहीं–कहीं पर संकरा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 12 फिट है । खदरी तिराहा से लगभग 25 मीटर की दूरी हल्की चढाई होने के साथ लक्कड़ घाट रोड की ओर हल्के गड्डे है । उक्त मार्ग पर पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध नही है । यदि इस मार्ग पर ई–रिक्शा का संचालन किया जाता है, तो लगभग 15 हजार क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा का लाभ मिल सकता है ।

3– सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) हरिद्वार से प्राप्त सर्वेक्षण आख्या

स0स0प0अ0(प्रर्वतन) हरिद्वार , ने अपने पत्र स0 112/प्रर्वतन– हरिद्वार/बैटरी रिक्शा मार्ग सर्वे/दिनांक 24.8.2015 के द्वारा हरिद्वार/रूड़की के निम्न मार्गो हेतु अपनी सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की गई है–

हरिद्वार क्षेत्र		
क्रम स0	**मार्ग का नाम**	**दूरी (कि0मी0)**
1	दक्ष मन्दिर से शंकराचार्य चौक	02
2	शंकराचार्य चौक से रेलवे स्टेशन	03
3	श्रेलवे स्टेशन से जीरो जोन होते हुये भीमगोड़ा दूधाधारी चौक	05
4	टिबड़ी से सेक्टर–4 वाया बी0एच0ई0एल0 चौक	03
5	सिंहद्वार से दक्ष मन्दिर वाया लक्सर मार्ग	03
रूड़की क्षेत्र		
1	एस0डी0एम0 आवास से भारतीय स्टेट बैंक नहर पटरी होते हुये रेलवे स्टैशन तक	02
2	रूड़की रेलवे स्टेशन से फाट पाडली गुर्जर लाठर देवा रोडसे पनियाला	2.7
3	ढंडेरा रेलवे स्टेशन से फाटक ढडेरा, टोल, मिलिट्री हॉस्पिटल	02
4	आई0आई0टी0 रूड़की के अन्दर	02

हरिद्वार और रूड़की क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां यातायात की सुविधा को देखते हुय हरिद्वार मे रेलवे स्टेशन से 06 कि0मी0 की परिधि तक, रूड़की से रेलवे स्टेशन तक एवं लक्सर से बालीवाला चौक से 06 कि0मी0 की परिधि तक ई–रिक्शा को परमिट देना अधिक श्रेयष्कर होगा । ई–रिक्शा का किराया किसी भी स्थिती मे अधिकतम 04 सवारी हेतु रू0 40/– 6 कि0मी0 तक होना चाहिए ।

4– सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी विकासनगर कार्यालय से प्राप्त सर्वेक्षण आख्या–

परि0कर अधिकारी'–प्रथम विकासनगर , ने अपने पत्र स0 401/सा0प्रशा0/146–मार्ग सर्वेक्षण/15 दिनांक 18.8.2015 के द्वारा निम्न मार्गो हेतु अपनी सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की गई है–

1– सेलाकुई केन्द्र–

(अ) निगम रोड से अटक फार्म खैरी तथा पूरबिया लाईन से बहादर गॉव तक जो सेलाकुई मे एनएच–72 पर मिलता है, मार्ग की लम्बाई–05 कि0मी0 है (एन0एच0–72 को छोडकर) जनसंख्या लगभग 4000 हे ।
(ब) पुलिस चौकी की रोड से फार्मासिटी गेट तक तथा पुलिस चौकी रोड से डीपीएसजी कॉलेज चौक तक तथा फिर दायें से होते हुये जो एन0एच0–72 पर मिलता है । मार्ग की कुल दुरी–03 कि0मी0 है (एचएच–72 छोड़कर) जनसंख्या लगभग–2000 है ।
(स) विहाईव कॉलेज रोड से जमनपुर तक मार्ग की कुल दूरी–01 कि0मी0 (एचएच–72 छोड़कर) जनसंख्या लगभग–1000 है ।
(द) राना धर्म कॉटा रोड से मंतगी रबर फैक्ट्री एवं दून पी0जी0 कालेंज होते हुये मार्ग की दूरी 1.5 कि0मी0 है (एचएच–72 छोड़कर) जनसंख्या लगभग–1000 है ।

उक्त केन्द्र के उपरोक्त मार्गो पर एक बार मे 10 कि0मी0 तक की सीमा तक के लिये अधिकतम कुल 25 परमिट प्रदान करने की संस्तुति की जाती है ।

2– सहसपुर केन्द्र–

(अ) सहसपुर से सभावाला तक कुल दूरी –03 कि0मी0 । जनसख्यां लगभग 2500 है ।
(ब) सहसपुर से होरावाला गॉव वाया छरवा (होरावाला मार्ग)–मार्ग की कुल दूरी–10 कि0मी0, जनसख्या लगभग 3000 है।

उक्त केन्द्र के उपरोक्त मार्गो पर एक बार मे 10 कि0मी0 तक की सीमा तक के लिये अधिकतम कुल 15 परमिट प्रदान करने की स्रंस्तुति की जाती है ।

3– बरोटीवाला केन्द्र –

(अ) छरबा से बरोटीवाला की दूरी लगभग 03 कि0मी0 है । जनसख्यां लगभग 2000 है ।
(ब) बरोटीवाला से केदारवाला, रूद्रपुर पसोली गॉव तक की कुल दूरी–10 कि0मी0 । जनसख्यां लगभग 5000 है ।
(स) बरोटीवाला से विकासनगर चुंगी तक कुल दूरी–3.5 कि0मी0 । जनसंख्या लगभग 2500 है ।
(द) बरोटीवाला से भुजवाला हेतु हुये अंबाडी तक कुल दूरी–07 कि0मी0 । जनसख्या लगभग 3000 है ।

उक्त केन्द्र के उपरोक्त मार्गो पर एक बार मे 10 कि0मी0 तक की सीमा तक के लिये अधिकतम कुल 36 परमिट प्रदान करने की संस्तुति की जाती है ।

4– <u>डाकपत्थर केन्द्र</u>

(अ) शहीद केशवचन्द्र, महाविधयालय डाकपत्थर से जीवनगढ तक कुल दूरी–05 कि0मी0 । जनसख्यां लगभग 5000 है ।
(ब) डाकपत्थर से वाया शक्ति नहर होते हुये ढकरानी गॉव तक कुल दूरी–10कि0मी0 । जनसख्यां लगभग 2000 है ।
(स) हरवर्टपुर से ढकरानी गॉव तक कुल दूरी 02 कि0मी0। जनसख्यां लगभग 1000 है ।

(द) ढकरानी गॉव से ढालीपुर होते हुये आसन बैराज तक कुल दूरी 07 कि0मी0 । जनसख्यां लगभग 3000 कि0मी0 ।

उक्त केन्द्र के उपरोक्त मार्गो पर एक बार मे 10 कि0मी0 तक की सीमा तक के लिये अधिकतम कुल 38 परमिट प्रदान करने की संस्तुति की जाती है ।

ई–रिक्शा वाहनो को संचालित करने /परमिट जारी करने के विरूद्व देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ देहरादून, विक्रम जन कल्याण सेवा समिति इन्द्रा मार्केट देहरादून तथा दून आटो रिक्शा यूनियन देहरादून से आपत्ति प्राप्त हुयी है । इन आपत्तियो मे यह कहा गया है, कि देहरादून शहर मे व्यवासिक एवं निजी वाहनो के संख्यां वर्तमान मे बहुत अधिक है, जिसके कारण शहर की संड़को पर यातायात का भारी दवाव रहता है, शहर मे व्यवसायिक वाहने विक्रम टैम्पो, आटो रिक्शा, सिटीबस, टाटा मेजिक आदि अधिक संख्या मे संचालित है । ई–रिक्शा संचालन से आटो रिक्शा चालको का व्यवसायिक प्रभावित होगा । ई–रिक्शा सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नही है, क्योकि यह वाहन चारो तरफ से खुला है । उपरोक्त आपत्तियो मे ई–रिक्शा वाहन को परमिट जारी नही करने की मॉग की गई है ।

इसके अतिरिक्त देवभूमि ऋषिकेश आटो रिक्शा एसोसियेशन ऋषिकेश के द्वारा भी ई–रिक्शा वाहनो को ऋषिकेश मे संचालित करने/परमिट जारी करने के विरूद्व निम्नवत् आपत्ति की गई है, कि ' शहर ऋषिकेश मे नये परमिट की कोई आवश्यकता नही है, और न ही ई–रिक्शा के परमिट देने की कोई आवश्यकता है, जिसमे की ऋषिकेश मे पॉच वर्षो मे तीन बार परमिट खुल चुके है । वर्ष 2009 व 2010 एवं 2014 मे परमिट खुले जिसमें पहले से ऋषिकेश मे नगर पालिका द्वारा कोई भी पार्किग नही है । और वर्ष 2013 मे देविया आपदा आने से हम लोगो का पहले से ही रोजगार नही हे, जोकि हम लोगो ने प्राईवेट कम्पनी से लोन ले रखा है, उसे चुकाने मे हम लोग कर्ज नही उतार पा रहे है । महोदय् ना ही ई–रिक्शा मे चारो और कोई स्पोट नही है । इसमें आये दिन दुर्घटना की सम्भावना बनी रहेगी । और आगे कोई भी आटो विक्रम व ई–रिक्शाा को नये परमिट ना दिये जाये व इन परमिटो पर रोक लगाई जाये । ऋषिकेश मात्र एक छोटा सा शहर है, जिसे 1165 करीब आटो रिक्शा व विक्रम संचालित है । '

अतः प्राधिकरण ई–रिक्शा वाहनो के संचालन हेतु मार्ग निर्धारण करने तथा इन वाहनो को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे निति निर्धारित करने के सम्बन्ध मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे ।

(सुधांशु गर्ग)
सचिव
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण
देहरादून।

संम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 01.12.2015 की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

1. श्री सी0 एस0 नपलच्याल — अध्यक्ष
   आई0ए0एस0
   आयुक्त, गढ़वाल मंडल।

2. श्री रमेश बुटोला, — सदस्य
   144/11, नेशविला रोड़
   देहरादून।

3. श्री अरविन्द शर्मा, — सदस्य
   345 विवेक विहार
   हरिद्वार।

4. श्री सुधाशु गर्ग — पदेन सचिव
   संभागीय परिवहन अधिकारी,
   देहरादून।

संकल्प सं0–1 संम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.5.2015 की कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।

संकल्प स0–2 संम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्वति से दिनांक 24.9.15, 26.9.15 28.9.15 एवं दि0 19.11.2015 मे पारित आदेशो का अनुमोदन किया जाता है ।

संकल्प सं0–3 सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत अ ब स द में जारी स्थाई/अस्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प सं0– 4 **ई–रिक्शा वाहन (बैटरी चालित तिपहिया वाहन) को व्यवयासिक यात्री वाहन के रूप मे संचालन हेतु मार्ग निर्धारित करने तथा इन वाहनो को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार एवं आदेश–**

मद स0–4 के अन्तर्गत बैटरी चालित तिपहिया ई–रिक्शा वाहन को संचालन, मार्ग निर्धारित करने एवं इन वाहनो को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार एवं आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है–

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स0 जीएसआर 709(ई) दिनांक 8.10.2014, अधिसूचना स0 2590(ई) दिनांक 8.10.2014, अधिसूचनास0 जीएसआर 27(ई) दिनांक 13.1.2015 तथा भारत सरकार के पत्र स0 RT-11036/80/2012 दिनांक 9.6.2014 द्वारा ई–रिक्शा वाहनो को व्यवसायिक मोटर वाहन की श्रेणी मे सम्मिलित किया गया है । इन वाहनो के पंजीयन, ई–रिक्शा चालको को ड्राईविंग लाईसेस जारी करने तथा इन वाहनो को परमिट से आच्छॉदित करने के सम्बन्ध मे प्राविधान किया गया है

पूर्व मे कुंछ ई–रिक्शा वाहने विभिन्न क्षेत्रो मे संचालित हो रही थी । ई–रिक्शा वाहनो को बिना पंजीकृत, बिना परमिट, फिटनेस, बीमा, चालक लाईसेंस चलाये जाने के फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में जनहित याचिका स0 153/15 दायर की गई थी । मा0 उच्च न्यायालय ने इस याचिका मे आदेश पारित किये है, कि बिना पंजीयन एवं बिना वैध प्रपत्रों के (परमिट, फिटनेश, बीमा, कर जमा, ई–रिक्शा ड्राईविंग लाईसेंस) ई–रिक्शा का संचालन बन्द किया जाये तथा यह सुनिश्चत किया जाये कि कोई भी ई–रिक्शा निर्माता/डीलर बिना अस्थाई/स्थाई पंजीयन के ई–रिक्शा का परिदान क्रेता को नही करेगा ।

भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचनाओ द्वारा मोटरगाडी अधिनियम तथा नियमावली मे संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ई–रिक्शा वाहने व्यवसायिक गाडी की श्रेणी मे आ गये है । इन वाहनो के लिये वाहन

को पंजीयन कर वाहन का स्वस्थता प्रमाणपत्र, तथा अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है । इसके अतिरिक्त ई–रिक्शा चालको को प्थक से व्यवसायिक चालक लाईसेंस प्राप्त करना होगा ।

भारत सरकार परिवहन मत्रांलय के पत्र स0 RT-11036/80/2012-MVL दिनांक 9.6.2015 द्वारा ई–रिक्शा वाहनो को साईकिल रिक्शा (व्यक्ति द्वारा खीचने वाले) से रिप्लेस करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियो को रोजगार देने, बढते प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी करने का निर्णय लिया गया है । यह भी निर्देश दिये गये है, कि ई–रिक्शा वाहने उनके मालिक द्वारा स्वंम ही संचालित की जायेगी, तथा निर्धारित किये गये मार्गो/क्षेत्रो पर इन वाहनो की संख्या निर्धारित नही की जायेगी ।

ई–रिक्शा परमिट जारी करने के विरूद्व प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित यूनियनो के प्रतिनिधियो द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया –

1– श्री पंकज अरोड़ा अध्यक्ष, दून आटो रिक्शा यूनियन देहरादून ।

2– श्री विजय वर्धन डंडरियाल अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा देहरादून ।

उपरोक्त आपत्तिकर्ताओ ने ई–रिक्शा वाहनो के परमिट जारी करने के विरूद्व आपत्ति की है। आपत्तिकर्ताओ को सुनने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि ई–रिक्शा वाहनो का संचालन शहर के भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रो एवं मुख्य मार्गो पर नही किया जायेगा । इन वाहनो को शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रो के उन छोटे–2 मार्गो पर जिनमें वर्तमान मे कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नही है, संचालित किया जायेगा । नगर मे ऐसे छोटे–2 मार्ग है, जहॉ पर अन्य प्रकार की वाहनो का संचालन किया जाना संभव नही है, जहॉ पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है, उन क्षेत्रो में परिवहन सुविधाये उपलब्ध कराने एवं शहर मे बढते प्रदूषण को ध्यान मे रखते हुये ई–रिक्शा वाहनो को संचालित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित ई–रिक्शा वाहनो का पंजीयन होने जाने के पश्चात संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा इन वाहनो को निर्धारित मार्गो पर ई–रिक्शा परमिट स्वीकृत किये जायेगे । हरिद्वार जनपद मे पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण

आचार–संहिता प्रभावी है, इसलिये हरिद्वार/रूड़की क्षेत्र में ई–रिक्शा वाहनो के लिये मार्ग निर्धारित करने हेतु मामले पर विचार करते हुये अन्तिम निर्णय सुरक्षित रखा जाता है ।

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रर्वतन) देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर से प्राप्त मार्ग सर्वेक्षण आख्यायो का अवलोकन करने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा ई–रिक्शा संचालन हेतु निम्नलिखित मार्गो को बर्गीकृत करते हुये ठेका गाड़ी परमिट जारी किये जाने का निर्णय लिया जाता है ।

1– देहरादून के मार्ग –

(1) नेहरू कालोनी (फव्वारा चौक) –बलवीर रोड– लक्ष्मी रोड़–वैल्हम गर्ल्स कॉलेज–ब्राईटलैण्ड स्कूल – ब्रोकलीन स्कूल (दूरी लगभग 4.00 कि0मी0)

(2) होटल ग्रेटबैल्यु (कैनाल रोड की ओर) मोंड –एनआईवीएच(बैक गेट)– कैनाल रोड़–पुलिस कॉलोनी–आईटी पार्क मोंड़–पैराडाईज रेजीडेंसी–मंसूरी बाईपास मार्ग – (दूरी लगभग 5.00 कि0मी0)

(3) मोहकमपुर मंदिर से एकता विहार–गीता एन्कलेव–आर्शीवाद एन्कलेव– भागीरथी कॉलोनी–नेहरूग्राम– एकता एन्कलेव–गंगोत्री विहार –शताब्दी एन्कलेव–जोगीवाला ।– (दूरी लगभग 4.00 कि0मी0)

(4) जोगीवाला–बद्रीपुर –इन्द्रपुर मार्ग । (दूरी लगभग 4.00 कि0मी0)

(5) इन्द्रा नगर –सीमाद्वार–आईटीबीपी के बगल से गढवाली कालोनी–जीएमएस रोड तक । – (दूरी लगभग 3.00 कि0मी0)

(6) दून शायर कालोनी–साईलोक कॉलोंनी–इंजीनियर एन्कलेव– देना बैक–कमला पैलेस–सब्जीमण्डी चौक मुख्य मार्ग सहारनपुर रोड को छोड़कर (दूरी लगभग 3.00 कि0मी0)

(7) धर्मपुर चौक (पुलिस लाईन रोड) –ऑफीसर्स कॉलोनी मोड़–पुलिस लाईन–रेसकोर्स–बन्नू स्कूल चन्दर नगर–रेस्ट कैम्प चौराहा तक (दूरी 3.00 कि0मी लगभग) ।

(8) प्रेमनगर–स्मिथ नगर–टी ईस्टेट–आरकेडिया ग्रांट–बड़ोवाला–'शिमला बाईपास–तेलपुर चौक

(दूरी लगभग 07 कि0मी0) ।

2– ऋषिकेश क्षेत्र

(1) रायवाला– जी0आर0टी0यू0 मार्ग वाया होशियारी माता मन्दिर–मोछधाम आश्रम–भगवती बसन्ती मन्दिर तिराहा (दूरी 4 कि0मी0 लगभग) ।

(2) बैराज तिराहा से पशुलोक कालोनी–सीमा डेण्टल कालेज–बीरपुर खुर्द–लेबर कालोनी,–कृष्णा नगर कालोनी तिराहा, खदरी तिराहा–लकड़ घाट रोड– प्रगतिपुरम –आई0डी0पील0 एल0 प्लांट से गेट न0 1 व 2 तक तक (ऋषिकेश–हरिद्वार मुख्य मार्ग को छोड़कर) (दूरी 08 कि0मी0 लगभग) ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भानियावाला –रामनगर ड़ाण्डा–थानो मार्ग पर बैटरी रिक्शा वाहन चलाने के सम्बन्ध मे क्षेत्र के निवासियो की ओर से बैठक मे एक प्रार्थना पत्र श्री मुनीश रियाल,म0न0–151 रामनगर डाण्डा द्वारा प्रस्तुत किया गया । इसमे निवेदन किया गया है,कि भानियावाला चौक से बाया रामनगर ड़ाडा गॉव होते हुये थानो तक 08 कि0मी0 मार्ग पर ई–रिक्शा वाहन चलाये जाये ताकि क्षेत्र मे निवासियो को यातायात की सुविधा प्राप्त हो सके । प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जनता की मॉग पर निम्न मार्ग वर्गीकृत किया जाता है

(3) भानियावाला चौक से– थानो वाया रामनगर ड़ाण्डा गॉव (दूरी लगभग 8 कि0मी0) ।

3– विकासनगर क्षेत्र के मार्ग–

(1) निगम रोड से अटक फार्म खैरी तथा पूरबिया लाईन से बहादर गॉव तक(देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की लम्बाई–05 कि0मी0 लगभग)

(2) पुलिस चौकी की रोड से फार्मासिटी गेट तक तथा पुलिस चौकी रोड से डीपीएसजी कॉलेज चौक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की कुल दूरी–03 कि0मी0 लगभग)

(3) सेलाकुई (विहाईव कॉलेज रोड मोड़) से जमनपुर तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की कुल दूरी–01 कि0मी0 लगभग)

(4) सेलाकुई (राना धर्म कॉटा मोड़) से मंतगी रबर फैक्ट्री एवं दून पी0जी0 कालेंज तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की दूरी 1.5 कि0मी0लगभग)

(5) सहसपुर से सभावाला तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की दूरी –03 कि0मी0 लगभग) ।

(6) सहसपुर से होरावाला गॉव वाया छरबा (होरावाला मार्ग) (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की दूरी–10 कि0मी0 लगभग) ।

(7) छरबा से बरोटीवाला (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) । (मार्ग की दूरी–03 कि0मी0 लगभग) ।

(8) बरोटीवाला से केदारवाला, रूद्रपुर पसोली गॉव (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की दूरी–10 कि0मी0 लगभग) ।

(9) बरोटीवाला से विकासनगर चुंगी तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की दूरी–3.5 कि0मी0 लगभग) ।

(10) बरोटीवाला से भुजवाला हेतु हुये अंम्बाडी तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की दूरी– 07कि0मी0 लगभग) ।

(11) शहीद केशवचन्द्र, महाविधयालय डाकपत्थर से जीवनगढ तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की दूरी–05 कि0मी0 लगभग) ।

(12) डाकपत्थर से वाया शक्ति नहर होते हुये ढकरानी गॉव तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर) (मार्ग की दूरी–10 कि0मी0 लगभग) ।

(13) हरवर्टपुर से ढकरानी गॉव तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर)
(मार्ग की दूरी –02 कि0मी0 लगभग) ।

(14) ढकरानी गॉव से ढालीपुर होते हुये आसन बैराज तक (देहरादून–विकासनगर–पौण्टा मार्ग छोड़कर)
(मार्ग की दूरी– 07कि0मी0 लगभग)।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 01.12.2015

संकल्प सं0–4

ई–रिक्शा वाहनो के परमिट निम्नलिखित शर्तो के साथ जारी किये जायेगे ।

1– उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हो (वोटर कार्ड/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य)।
2– आवेदक बेराजगार हो ।
3– आवेदक के नाम पूर्व मे कोई परमिट जारी न हो ।
4– आवेदक के पास ई–रिक्शा चलाने का वैध लाईसेस होना आवश्यक है।
5– आवेदक के नाम पर विधुत विभाग को कनेक्शन एवं ई–रिक्शा वाहन की वैटरी चार्ज करने का स्थान होना आवश्यक होगा । यदि आवेदक किराये पर निवास करता है, तो भवन स्वामी से पंजीकृत एग्रीमेंट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
6– राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किराये की दर अनुसार ही किराया निर्धारित होगा ।
7– निर्धारित मार्गो पर ही ई–रिक्शा का संचालन होगा ।

रमेश बुटोला,
सदस्य
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

अरविन्द शर्मा,
सदस्य
सभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

कार्यवृत्त तैयारकर्ता–

सुधांशु गर्ग, पदेन सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

सी0 एस0 नपलच्याल (आई0ए0एस0)
अध्यक्ष
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।